न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:–जीसीएमएस नम्बर 2022/539

1. राममोहन त्रिवेदी पुत्र फूलचन्द, जाति ब्राहम्ण निवासी मौहल्ला डांगरवाड़ा, बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट

2. कृष्ण मोहन त्रिवेदी पुत्र फूलचन्द, जाति ब्राहम्ण निवासी मौहल्ला डांगरवाड़ा, बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति:–

1. श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

दिनांक: 08.12.2025

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.2022 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 499/1817 रकबा 3 बीघा 5 बीघा का आवंटन दिनांक 27.05.1966 को अपीलार्थी एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. श्री फूलचन्द पुत्र रामसहाय जाति ब्राहमण निवासी बस्सी को किया गया तथा दिनांक 27.06.1966 को उक्त आवंटित भूमि बाबत गैर खातेदारी का पट्टा श्री फूलचन्द पुत्र रामसहाय को तहसीलदार बस्सी द्वारा जारी किया गया एवं उक्त पट्टे की फीस जरिये चालान नम्बर 1142 दिनांक 27.06.1966 को जमा की गई। आवंटी स्व. श्री फूलचन्द उक्त आवंटित भूमि पर जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहे उनके स्वर्गवास पश्चात् अपीलार्थी काबिज काश्त होकर भूमि का उपभोग–उपभोग करते चले आ रहे है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 27.05.1966 को आवंटन आदेश के पश्चात् पडौसी काश्तकारान ने अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 31.12.1970 को खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल के प्रस्तुम निगरानी दिनांक 22.01.1974 को खारिज की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी के पिता के हक में हुए आवंटन को निरस्त करने बाबत पड़ौसी काश्तकार द्वारा शिकायत करने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर संख्या 2 जिला जयपुर के समक्ष आवंटन को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहा इस पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 06.07.1993 को पारित करे। अपीलार्थी के पिता स्व. फूलचन्द के हक में हुए आवंटन को सही माना गया। तत्पश्चात् राजस्व मण्डल के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश होने पर निर्णय दिनांक 10.02.1994 द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। इस प्रकार न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अपीलार्थी के पिता स्व. फूलचन्द के हक में

P.T.O.

किये गये आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1966 यथावत रखे जाने के निर्णय दिनांक 06.07.1996 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 10.02.1994 के पश्चात् पुनः तहसीलदार बस्सी द्वारा जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष दिनांक 13.04.1994 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 14(4) की कार्यवाही किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रेषित उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा सरकार बनाम फूलचन्द 164/1994 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जयपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अपीलार्थी के पिता को नोटिस जारी किया गया। जिस पर उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया कि वह उक्त भूमि पर आवंटन कमेटी के द्वारा आवंटन किये गये भू-भाग पर काबिज काश्त चले आ रहे है, उक्त कब्जे बाबत पडौसी काश्तकारान द्वारा दखलअन्दाजी करने पर वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 20.01.1967 को पेश किया, जो कि दिनांक 06.04.1970 को डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण को पाबन्दी किया गया, उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय क्रमशः दिनांक 25.05.1974 एवं दिनांक 22.02.1978 द्वारो खारिज की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अन्य तृतीय व्यक्ति बद्रीनारायण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 10.05.2012 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 22.02.2017 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 10.05.2012 को विधिक मानते हुए प्रकरण इस इस संशोधन के साथ आंशिक स्वीकार किया जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर को प्रकरण नये सिरे से निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय अति. जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 16/2017 उनवान सरकार बनाम फूलचन्द दर्ज कर तहसीलदार बस्सी से तहसील रिपोर्ट दिनांक 31.03.2021 एवं दिनांक 19.07.2021 की तलबी की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.2022 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से उक्त तहसील रिपोर्ट के विपरीत जाकर आवंटी का आवटन खारिज किया गया है, जो निर्णय विधि-विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकिूल एवं परवर्स, आर्बीट्रेरी, कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2017 की अनुपालना में मुख्य बिन्दु यह परीक्षण करना था कि आया आवंटन के समय और आवंटन के पश्चात् आवंटी का उक्त रिलीवेट समय में काश्त थी या नही, या खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032, 2044 से 2047 एवं 2048 से 2050 में काश्त के बाबत परीक्षण किया जाना, उक्त माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा निर्धारित किये गये बिन्दु पर तहसीलदार बस्सी से दिनांक 31.03.2021 को खसरा गिरदावरी के बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें तहसीलदार बस्सी ने अंकित किया कि ग्राम बस्सी के खसरा नम्बर 499/1817 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा की संलग्न उक्त सम्वत् की खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 6 में नाम उपकृषक विवरण सहित तथा कृषि काल' में फूलचन्द पुत्र रामसहाय जाति ब्राहम्ण सा. देह गैर खातेदार का नाम दर्ज रिकार्ड है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि पर फूलचन्द पुत्र रामसहाय ब्राहाम्ण सा. देह गैर खातेदार स्वयं काबिज था एवं उसके द्वारा काश्त की जाती रही थी।

उक्त तहसील रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपूर्ण मानते हुए पुनः तहसीलदार से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना के सम्बन्ध में मौके की स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की जो दिनांक 19.07.2021 को तहसीलदार बस्सी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गई जिसमें स्पष्टतया आवंटन के पश्चात् की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024 से 2027, सम्वत् 2028 से 2031, सम्वत 2040 से 2043, 2052 से 2055, 2056 से 2059 व 2060

P.T.O.

से 2063 में आवंटी के नाम से खसरा नम्बर 499/1817 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा की उपरोक्त सम्वतों की खसरा गिरदावरी के कॉलम नम्बर 6 नाम उपकृषक विवरण तथा कृषि काल में फूलचन्द पुत्र रामसहाय का नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर 499/1877 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा स्थित ग्राम बस्सी पर निर्णय दिनांक 29.11.2011 की पालना होने तक फूलचन्द पुत्र रामसहाय गैर खातेदार स्वयं काबिज था एवं उक्त द्वारा भूमि पर की जाने वाली काश्त को खसरा गिरदावरियों दर्ज किया गया है। जिससे आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना किया जाना दर्शित है। इस प्रकार राजस्व मण्डल के निर्णय की अनुपालना अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुई। जिसमें स्पष्टतया अंकित रहा कि आवंटी का आवंटनशुदा भूमि पर आवंटन के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना की जा रही। जिसके बाबत दस्तावेजी साक्ष्य खसरा गिरदावरी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विवेचन किये बिना मनमाना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन कि है कि आवंटन नियमों में दिये गये प्रावधान के तहत तहसीलदार बस्सी द्वारा उक्त आवंटित भूमि का पट्टा, पट्टा फीस जरिये चालान नम्बर 114 दिनांक 27.06.1966 द्वारा जमा की गई। तत्पश्चात् उक्त पट्टा बाबत गैर खातेदारी का नियमानुसार जारी किया गया है। एक बार पट्टा जारी करने के पश्चात् उक्त पट्टे को आवंटन नियम 14(4) के तहत पट्टे के विपरीत जाकर आवंटन को खारिज करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही था लेकिन अधीनस्थ न्यायालस ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज योग्य है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1966 को न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निर्णय दिनांक 06.07.1993 को सही माना गया है, उसके पश्चात् पुनः आवंटन आदेश को दी गई चुनौती धारा 11 सी.पी.सी. के तहत रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से वाधित थी अर्थात अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आवंटन आदेश की वैधानिकता बाबत एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश द्वारा सही माने जाने के पश्चात् पुनः प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत मेन्टैनेबल नही होने के कारण प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालाय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.2022 को खारिज फरमाया जाकर अपीलार्थी क पिता स्व. श्री फूलचन्द पुत्र रामसहाय के हक में हुए आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1966 ग्राम बस्सी तहसील बस्सी स्थित भूमि खसरा नम्बर 499/1817 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जिसके बने हाल खसरा नम्बर 787 रकबा 0.82 हैक्टयर को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी के पिता फूलचन्द के हक में दिनांक 27.05.1966 को ग्राम बस्सी में 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात् उसे गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया, किन्तु प्रश्नगत आवंटित आराजी पर अपीलार्थी के पिता का कब्जे काश्त नही रहने के कारण अपीलार्थी के पिता को खातेदारी अधिकार नही मिले एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया था। उन्होने यह भी कथन किया है कि वर्तमान में भी आवंटी के वारिसान का आवंटित आराजी पर कब्जा

P.T.O.

नही है तथा आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में नही आते हुये भी तथ्यों को छुपाकर आवंटन प्राप्त किया है जिस पर उसका कोई कब्जा काश्त नही है। आवंटन की शर्तो की पालना नही होने से आवंटन खारिज योग्य ही था। उन्होने यह भी कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी बस्सी की रिपोर्ट दिनांक 16.06.2011 के अनुसार भी तत्समय आवंटित आराजी पर आवंटी या उसके वारिसान का कब्जा काश्त नही रहा है। तहसीलदार बस्सी की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में आवंटित आराजीयात मौके पर खाली पड़त भूमि है एवं वर्तमान में सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर वर्तमान में भी कोई कब्जा काश्त नही है। इस प्रकार भूमि आवंटन नियम 1970 की शर्तो की पालना नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि तहसीलदार बस्सी की जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा नमबर 499/1817 ग्राम बस्सी की खसरा गिरदावरी सम्वत 2024 से 2027, 2028 से 2031, 2040 से 2043, सम्वत् 2052 से 2055, 2056 से 2059 व 2060 से 2063 की खसरा गिरदावरी में आवंटी के नाम से फसल काश्त अंकित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.10.2001 के अनुसार प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी जयपुर पूर्व से करवाई गई जांच के अनुसार विवादित भूमि पर आवंटी फूलचन्द का कब्जा तत्समय नही था जिससे संभवतया खसरा गिरदावरी रिपोर्ट में आवंटी के गैर खातेदार होने के कारण कब्जा काश्त अंकित रहा हो लेकिन वास्तविक स्थिति में आवंटी का कब्जा विवादित भूमि पर तत्समय नही होना प्रतीत होता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी बस्सी की रिपोर्ट दिनांक 16.06.2011 के अनुसार भी तत्समय आवंटित आराजी पर आवंटी या उसके वारिसान का कब्जा काश्त नही रहा है एवं तहसीलदार बस्सी की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में आवंटित आराजीयात मौके पर खाली पड़त भूमि है एवं वर्तमान में सिवायचक दर्ज रिकार्ड है तथा अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में अपीलार्थी का कब्जा काश्त होना साबित होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत भूमि के आवंटी द्वारा भूमि आवंटन नियम 1970 की शर्तो की पालना नही किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.2022 को यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।